प्रेस विज्ञप्ति
13.02.2026

देहरादून भूमि अभिलेख गढ़ने के घोटाले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ ईडी ने अभियोजन शिकायत दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष हुमायूं परवेज, मोहम्मद वकील और मुकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। मामला एक परिष्कृत सिंडिकेट से संबंधित है जिसने राज्य के राजस्व अभिलेखागार के भीतर व्यवस्थित रूप से भूमि अभिलेखों को गढ़कर धन का शोधन किया।

अभियुक्त व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से देहरादून में उच्च मूल्य के भूखंडों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अवैध लाभ के लिए फिर से बेच दिया। वर्तमान अभियोजन शिकायत में, अभियुक्त व्यक्तियों ने मौजा माजरा, परगना केंद्रीये दून, देहरादून में 2,550 वर्ग गज की प्रमुख भूमि के संबंध में फर्जी दस्तावेज तैयार किए। वर्ष 1958 के मूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई और आधिकारिक रजिस्ट्री रिकॉर्ड में बदल दिया गया। बाद में, इन भूखंडों को वर्ष 2019-2020 के बीच निष्पादित धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रियों के माध्यम से बेचा गया।

ईडी की जाँच में अपराध से प्राप्त आगम (Proceeds of Crime - PoC) उत्पन्न करने के लिए एक सावधानीपूर्वक नियोजित आपराधिक षड्यंत्र का पता चला। अभियुक्तों ने देहरादून और सहारनपुर में रजिस्ट्रार कार्यालयों के कर्मचारियों के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों के मूल खंडों तक पहुँचने की साजिश रची। संपत्तियों को पहले अभियुक्तों के लंबे समय से मृत रिश्तेदारों (जैसे, हुमायूँ परवेज़ के पिता, ज़लीलुर रहमान) के नाम पर "हस्तांतरित" किया गया। इसके बाद अभियुक्तों ने संपत्ति पर "वैध" अधिकार का दावा करने के लिए इन मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी होने का नाटक किया। इन जाली दस्तावेज़ों का उपयोग भूमि को अनजान खरीदारों को बेचने के लिए किया गया, जिससे जाली "संपत्ति" को नकदी में बदल दिया गया। इस तरह, हुमायूँ परवेज़ द्वारा 11 धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रियों के माध्यम से लगभग 3,66,55,000/- रुपये उत्पन्न किए गए। मोहम्मद वकील द्वारा भूमि की अवैध बिक्री के माध्यम से 40,00,000/- रुपये उत्पन्न किए गए। उक्त मामले में तलाशी अभियान के दौरान, निदेशालय ने पहले ही निम्नलिखित चीजें जब्त कर ली थीं: –

- **नकद:** 24.50 लाख रुपये जब्त; बैंक खातों में 11.50 लाख रुपये फ्रीज किए गए।
- **मूल्यवान वस्तुएँ:** हीरे, सोना और चांदी से युक्त 58.80 लाख रुपये के आभूषण।

जांच से पुष्टि होती है कि अभियुक्तों ने व्यवस्थित भूमि धोखाधड़ी की, अवैध आगम उत्पन्न किया और उन्हें वैध संपत्ति के रूप में पेश करने का प्रयास किया। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत कड़ी कार्रवाई की है, जिससे जवाबदेही और सार्वजनिक हित की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। आगे की जांच जारी है। यहां तीन दृश्य मसौदे हैं जो आपराधिक साजिश और प्रवर्तन कार्यों को दर्शाते हैं:–

अपराध की आय उत्पन्न करने का आपराधिक षड्यंत्र





भूमि अभिलेखों तक पहुँच



संपत्ति मृतक रिश्तेदार के नाम पर हस्तांतरित



संपत्ति खरीदारों को बेची गई



₹3,66,55,000/-
हुमायूँ परवेज़ द्वारा 11 धोखाधड़ी वाली रजिस्ट्रियों से उत्पन्न



₹40,00,000/-
मोहम्मद वकील द्वारा भूमि की अवैध बिक्री से उत्पन्न